भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 19

सोमवार, 4 फरवरी, 2019/15 माघ, 1940 (शक)

असंगठित श्रमिक

***19. श्री प्रवेश साहिब सिंह:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में असंगठित श्रमिकों की कार्यदशा में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या दिल्ली में असंगठित श्रमिकों को भविष्य निधि और बीमा जैसी कल्याणकारी सुविधायें उपलब्ध हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की दिशा में कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*   ****

असंगठित श्रमिकों के संबंध में श्री प्रवेश साहिब सिंह द्वारा दिनांक 04.02.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 19 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग): दिल्ली में बसे हुए कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों की कामकाजी दशाओं में सुधार करने की दृष्टि से, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 कार्यान्वित कर रहे हैं। इस अधिनियम में असंगठित कामगारों के जीवन और अपंगता कवर, स्वास्थ्य तथा प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था संरक्षा से संबंधित विषयों में कल्याणकारी स्कीमों का उपबंध किया गया है। केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों यथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षा योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

केन्द्रीय सरकार ने असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन एवं अपंगता कवरेज प्रदान करने के लिए आम आदमी बीमा योजना(एएबीवाई) का विलय प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना(पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(पीएमएसबीवाई) के साथ भी किया है। विलय की गई ये योजनाएं योजना के अनुसार अपंगता लाभ के अलावा, 330/- रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का छत्र तथा 12 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर दुर्घटना में होने वाली मृत्यु पर 2 लाख रुपये का छत्र प्रदान करती हैं। वार्षिक प्रीमियम केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा 50:50 आधार पर साझा किया जाता है। इन स्कीमों का कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की जाती है।

केंद्रीय सरकार बीस अथवा उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान अथवा ऐसे प्रतिष्ठानों के वर्ग को जिसे केंद्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करती है, भविष्य निधि एवं पेंशन निधि प्रदान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 का भी कार्यान्वयन करती है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 संगठित और असंगठित श्रमिकों के बीच भेदभाव नहीं करता।

केंद्र सरकार का सभी असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के अनुसार सामाजिक सुरक्षा स्कीमों की कवरेज को विस्तारित करने का निरंतर प्रयास रहा है। यह मंत्रालय अधिक कवरेज का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों से बात-चीत करता रहा है। केंद्रीय सरकार ने असंगठित कामगारों के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न योजनाओं की सिफारिश करने और योजनाओं के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने तथा अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न मामलों पर केंद्रीय सरकार को सलाह देने के लिए भी केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का भी गठन किया है। इसी तरह, राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अधिनियम के उपबंधों को निष्पादित करने के लिए अपने-अपने राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करना अपेक्षित होता है।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 39

सोमवार, 4 फरवरी, 2019/15 माघ, 1940 (शक)

संगठित और असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण

39. श्री संजय काका पाटील:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण करके एक सूची बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में राज्यों को दिशा-निर्देश देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कोई पेंशन/मानदेय देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): सरकार ने असंगठित कामगारों से संबंधित राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने और 402.7 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से उन्हें विशिष्ट पहचान अर्थात असंगठित कामगार पहचान संख्या (यूविन) प्रदान करने की मंज़ूरी दे दी है। असंगठित कामगारों के पंजीकरण का कार्य राज्य के संबंधित जिला प्रशासनों द्वारा किया जाएगा। संगठित क्षेत्र में नियोजित कामगार पहले से ही अधिवर्षिता के उपरांत मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगार जो अधिकांशत: गृह आधारित कामगारों, फेरी लगाने वालों, सिर पर बोझा उठाने वालों, ईंट-भट्टा कामगारों, मोचियों, कूड़ा बीनने वालों, घरेलू कामगारों, धोबियों, रिक्शा चालकों, भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों, ऑन अकाउंट कामगारों, कृषि कामगारों, सन्निर्माण कामगारों, बीड़ी कामगारों, हथकरघा कामगारों, चमड़ा कामगारों इत्यादि के रूप में नियोजित हैं, और उनकी मासिक आय 15,000/- रुपये से कम है, उनके लिए यह मंत्रालय मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु कार्य कर रहा है। यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना होगी जिसमें 18 से 40 वर्ष की प्रवेश आयु के साथ 60 वर्ष की आयु होने पर उनके लिए 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन का प्रावधान होगा। केन्द्र सरकार मासिक अंशदान का 50% देगी और शेष 50% अंशदान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा। 3000/- रू. की न्यूनतम मासिक पेंशन हेतु लाभार्थी को 29 वर्ष की औसत प्रवेश आयु से 100/- रू. प्रति माह का अंशदान करना अपेक्षित है।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 69

सोमवार, 4 फरवरी, 2019/15 माघ, 1940 (शक)

बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया

69. श्री राजू शेट्टी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बंद पड़ी कंपनियों/इकाइयों में उनके बकाया और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ़) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) की राशि सहित बकाया राशि की वसूली से संबंधित मापदण्डों/दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में उक्त कंपनियों/उद्योगों से अब तक वसूल नहीं की गई राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त राशि की वसूली के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में बंद पड़े प्रतिष्ठानों के भविष्य निधि बकायों की वसूली कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 8ख से 8छ के अंतर्गत विनिर्दिष्ट तरीके से की जाती है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) प्रतिष्ठान अथवा यथास्थिति नियोक्ता की चल अथवा अचल संपत्ति की कुर्की एवं विक्रय;

(ii) नियोक्ता की गिरफ्तारी तथा सिविल जेल में उसकी कैद ;

(iii) प्रतिष्ठान अथवा यथास्थिति नियोक्ता की चल अथवा अचल संपत्ति के प्रबंधन हेतु रिसीवर की नियुक्ति;

बंद पड़े प्रतिष्ठान जिनसे कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत राशि वसूल न की गई हो उनकी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची अनुबंध-I पर है।

जहां तक कर्मचारी राज्य बीमा का प्रश्न है, कराबी निगम की बकाया राशि की वसूली कराबी अधिनियम, 1948 की धारा 45ग से 45झ के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

बंद पड़ी कंपनियों/इकाईयों से कराबी के बकायों की वूसली से संबंधित मानदंड/दिशा-निर्देश/प्रक्रिया संबंधी विवरण निम्नवत हैं: - यदि नियोक्ता कराबी निगम के नोटिसों का उत्तर देने में असफल रहता है /इंकार करता है तो कराबी बकायों की वसूली गार्निशी के माध्यम से, बैंक खातों/चल परिसम्पत्तियों की कुर्की एवं रिसीवरशिप, चूककर्ता/बंद पड़ी इकाईयों की अचल परिसम्पत्तियों का विक्रय करके की जाती है।

अब तक देश में बंद पड़े उद्योगों/कंपनियों से कराबी के अंतर्गत वसूल नहीं की गई राशि के राज्य-वार विवरण की सूची अनुबंध-II पर है।

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में, उपर्युक्त प्रश्न (क) के उत्तर में उल्लेख किए गए कदम उठाते हुए, पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा मौजूदा वर्ष के दौरान ईपीएफ के अंतर्गत वसूली गई राशि की राज्य/संध राज्य क्षेत्र-वार सूची अनुबंध-III पर है।

जहां तक ईएसआई का प्रश्न है, बंद कंपनियों/इकाईयों से बकायों की वसूली के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं-

यदि कंपनी/इकाई बंद रहती है तो, प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक/संयुक्त निदेशक नोटिस की सुपुर्दगी एसएसओ/शाखा प्रबंधक के माध्यम से उक्त चूककर्ता के परिसरों के मुख्य स्थलों पर नोटिस चस्पा करवाकर करवाता है। इस प्रक्रिया का किसी से साक्ष्य करवाया जाता है और इसकी सुपुर्दगी की रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाती है।

कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा मौजूदा वर्ष के दौरान ईएसआई के अंतर्गत वसूली गई राशि की राज्य/संध राज्य क्षेत्र-वार सूची अनुबंध-IV पर है।

*****

अनुबंध-I

"बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया" से संबंधित श्री राजू शेट्टी द्वारा उठाए जाने वाले दिनांक 04.02.2019 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ईपीएफ के अंतर्गत बंद प्रतिष्ठान से नवम्बर,2018 तक की वसूल नहीं की गई राशि की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**राशि करोड़ रुपये में**
आंध्र प्रदेश	4.51
बिहार	20.10
छत्तीसगढ़	3.45
दिल्ली	9.28
गोवा	0.17
गुजरात	49.14
हिमाचल प्रदेश	0.87
झारखंड	19.43
कर्नाटक	75.07
केरल और लक्षद्वीप	17.96
महाराष्ट्र	193.35
मध्य प्रदेश	93.55
पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर)	8.07
ओडिशा	56.62
पंजाब और चंडीगढ़	37.25
राजस्थान	1.06
तमिलनाडु और पुदुचेरी	87.17
तेलंगाना	24.88
उत्तर प्रदेश	96.97
उत्तराखंड	35.03
पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम	872.51
कुल	**1706.44**

अनुबंध-II

"बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया" से संबंधित श्री राजू शेट्टी द्वारा उठाए जाने वाले दिनांक 04.02.2019 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ईएसआई के अंतर्गत बंद उद्योगों/कंपनियों से देश में अभी तक वसूल नहीं की गई राशि का राज्य/संघ राज्य-वार विवरण

क्रम संख्या	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**राशि लाख रूपये में**
1	आंध्र प्रदेश	1388.45
2	असम, मेघालय और त्रिपुरा	200.8
3	बिहार	160.63
4	छत्तीसगढ	110.87
5	दिल्ली	1091.69
6	गोवा	176.76
7	गुजरात, दादरा और नागर हवेली और दमन और DIU	449.94
8	हरियाणा	779.24
9	हिमाचल प्रदेश	29.17
10	जम्मू और कश्मीर	39.84
11	झारखंड	525
12	कर्नाटक	1777.89
13	केरल और लक्षद्वीप	144.6
14	मध्य प्रदेश	785.9
15	महाराष्ट्र	546.5
16	ओडिशा	846.23
17	पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार	203.41
18	पंजाब	712.17
19	राजस्थान	761
20	तमिलनाडू	9293.93
21	तेलंगाना	245.07
22	उत्तर प्रदेश	364.23
23	उत्तराखंड	802
24	पश्चिम बंगाल	2538.79
	कुल	**23974.11**

अनुबंध-III

"बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया" से संबंधित श्री राजू शेट्टी द्वारा उठाए जाने वाले दिनांक 04.02.2019 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ईपीएफ के अंतर्गत प्रतिष्ठानों से पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि की नवम्बर, 2018 तक की राज्य-संघ राज्य वार सूची

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आंध्र प्रदेश	0.17	170.65	0.04	0.04
बिहार	0	1.19	0	0.27
छत्तीसगढ़	7.78	0.76	0.48	0.06
दिल्ली	4.52	28.06	3.61	1.37
गोवा	0.01	0	0.10	0.04
गुजरात	2.76	3.99	3.09	4.19
हिमाचल प्रदेश	0	0.37	0.09	0.10
झारखंड	0	0	1.01	0.32
कर्नाटक	5.07	4.35	30.34	24.33
केरल और लक्षद्वीप	1.20	2.28	1.38	0.44
मध्य प्रदेश	0	0.05	0.42	0.26
महाराष्ट्र	85.75	289.62	57.34	36.01
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	0.07	0.05	0.05	0.02
ओडिशा	0.26	2.98	4.27	1.33
पंजाब और चंडीगढ़	0	2.01	1.94	0.82
राजस्थान	0	0.10	0.06	0
तमिलनाडु और पुदुचेरी	3.53	9.66	6.05	10.43
तेलंगाना	2.96	1.61	4.42	2.23
उत्तर प्रदेश	21.73	0.69	5.11	8.83
उत्तराखंड	0.16	2.47	0	0
पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम	160.53	130.42	178.08	57.48
कुल	**296.50**	**651.31**	**297.88**	**148.57**

अनुबंध -IV

"बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया" से संबंधित श्री राजू शेट्टी द्वारा उठाए जाने वाले दिनांक 04.02.2019 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ईएसआई के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (दिसम्बर, 2018 तक) के दौरान बंद कंपनियों/इकाईयों से वूसल की गई राशि (रूपये लाख में) का राज्य/संघ राज्य वार का विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	5.15
2	असम, मेघालय और त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
3	बिहार	0.10	0.06	0.01	0.02
4	छत्तीसगढ	0.00	0.00	0.00	0.00
5	दिल्ली	14.01	0.00	51.73	.035
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात, दादरा और नागर हवेली और दमन दीव	86.90	64.55	92.47	139.12
8	हरियाणा	1.61	2.15	8.05	2.70
9	हिमाचल प्रदेश	0.71	0.03	1.00	0.08
10	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	2.54	0.00
11	झारखंड	6.20	8.30	4.43	6.61
12	कर्नाटक	18.02	2.53	4.44	6.05
13	केरल एवं लक्षद्वीप	1.94	1.59	1.75	30.99
14	मध्य प्रदेश	24.22	18.00	9.76	6.00
15	महाराष्ट्र	103.89	70.64	54.55	41.22
16	ओडिशा	0.00	23.15	0.00	0.00
17	पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार	0.97	0.44	0.00	1.35
18	पंजाब	28.82	20.00	11.39	7.57
19	राजस्थान	17.49	38.94	33.17	16.62
20	तमिलनाडू	289.97	18.35	104.93	74.08
21	तेलंगाना	0.00	0.00	31.59	0.00
22	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
23	उत्तराखंड	87.35	11.46	30.00	6.59
24	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	7.54	0.00
	कुल	**682.2**	**280.19**	**449.35**	**344.19**

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 114

सोमवार, 4 फरवरी, 2019/15 माघ, 1940 (शक)

श्रमिक कल्याण का विनियमन

114. श्री जी.एम.सिद्देश्वरा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार श्रमिक कल्याण जैसे कि कर्मचारी राज्य बीमा भविष्य निधि, आदि से संबंधित विभिन्न मामलों के लिए व्यापक निकाय बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा श्रमिक कल्याण के विनियमन में सरकारी एजेन्सियों की अधिकता के कारण असुविधाओं को दूर करने के लिए विचार किए जा रहे/उठाए जा रहे कदमों के संबंध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): श्रम संबंधी द्वितीय राष्ट्रीय आयोग ने सिफारिश की है कि मौजूदा श्रम कानूनों को कार्यात्मक आधार पर व्यापक रूप से चार अथवा पांच श्रम संहिताओं में समूहीकृत किया जाना चाहिए। तदनुसार, मंत्रालय ने मौजूदा केन्द्रीय श्रम कानूनों के प्रासंगिक उपबंधों को सरलीकृत, अमामेलित और तर्कसंगत बना कर क्रमशः मजदूरी; औद्योगिक संबंध; सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य दशाओं पर चार श्रम संहितएं तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं। श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा पर श्रम संहिता संबंधी प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया था और जनता/हितधारकों की टिप्पणियों को भी आमंत्रित किया था। हितधारकों से प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों पर विचार करने के बाद सामाजिक सुरक्षा संबंधी संशोधित श्रम संहिता प्रारूप तैयार कर ली गई है। यह संहिता सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के प्रशासन की सामान्य प्रणाली को बनाने का लक्ष्य रखती है। वर्तमान में, सामाजिक सुरक्षा संबंधी श्रम संहिता प्रारूप विधायी-पूर्व परामर्शी चरण में है।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 129

सोमवार, 4 फरवरी, 2019/15 माघ, 1940 (शक)

ईपीएफओ के कॉमन सर्विस सेंटर

129. श्रीमती एम. वसन्ती :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सीएससी की सेवाओं को बंद करने का कारण डाटा की चोरी था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ) वर्ष 2016 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाओं को सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें सीएससी नेटवर्क के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। ईपीएफओ के अपने ई-केवाईसी पोर्टल के परिनियोजन होने के साथ तथा नवम्बर, 2017 में भारत सरकार द्वारा उमंग ऐप का आरम्भ होने पर, सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) की सेवाओं को आधार के साथ जोड़कर सदस्यों के लिए निशु:ल्क उपलब्ध कराया गया, मार्च, 2018 में इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सीएससी की सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 136

सोमवार, 4 फरवरी, 2019/15 माघ, 1940 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आधिकारिक विवरण के साथ छेड़छाड़

136. डॉ. किरीट सोमैया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बांद्रा, मुम्बई के आधिकारिक विवरण के साथ छद्म व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ तथा धोखाधड़ी करने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस मामले की जांच करने के लिए जन प्रतिनिधियों से शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी, हां। क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), बांद्रा, मुंबई के संज्ञान में आया है कि एक छद्म व्यक्ति ने क्षेत्रीय कार्यालय, ईपीएफओ, बांद्रा, मुंबई के स्थान पर "गूगल मैप" में अपने मोबाईल नंबर डाले हुए थे। तथापि, ईपीएफओ की वेबसाईट पर दूरभाष संख्या सहित आधिकारिक विवरण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, उक्त छद्म व्यक्ति ईपीएफओ का कर्मचारी नहीं है।

(ग) और (घ): दिनांक 01.10.2018 को ईपीएफओ ने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, बांद्रा कुर्ला कम्पलैक्स में एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी जिसके पश्चात दिनांक 10.10.2018 को निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर (संख्या 309/2018) दर्ज की गई। तत्पश्चात, एक माननीय संसद सदस्य से शिकायत प्राप्त होने पर मामले में समुचित कार्रवाई करने के लिए इसे पुन: एसीपी, साइबर अपराध प्रकोष्ठ, बांद्रा कुर्ला कम्पलैक्स के पास भेजा गया है तथा इसके बाद दिनांक 15.01.2019 को अनुस्मारक भी भेजा गया है। इसी दौरान, क्षेत्रीय कार्यालय, ईपीएफओ, बांद्रा, मुंबई से संबंधित संपर्क विवरण को सही कर दिया गया है।

******

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 146

सोमवार, 4 फरवरी, 2019/15 माघ, 1940 (शक)

भविष्य निधि से निकासी के लिए नियमों में परिवर्तन

146. डॉ.पी.वेणुगोपाल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सदस्यों को बेरोजगारी की स्थिति में एक माह के पश्चात अपनी धनराशि में से 75 प्रतिशत राशि निकालने और उनका भविष्य निधि खाते को ईपीएफओ में बनाए रखने का विकल्प दिया है/देने का विचार है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ईपीएफओ ने राशि निकालने को सरल बनाने के लिए नियमों में परिवर्तन किए हैं/करने का विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी हां। सरकार ने दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. जीएसआर 1182(अ.) के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2018 में पैरा 68जज अंत:स्थापित करके इसमें संशोधन किया है जो किसी सदस्य को किसी कारखाने या प्रतिष्ठान का कर्मचारी न रहने पर, यदि वह 30 दिन तक नियोजित न रहे, तो उसके खाते में बकाया कुल भविष्य निधि के 75 प्रतिशत तक गैर-वापसी योग्य अग्रिम की अनुमति देता है। ऐसा अभिदाता भविष्य निधि (पीएफ) खाता बंद कराए बिना कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) स्कीम, 1952 का सदस्य बना रहेगा। इसके अलावा, यह सदस्य को पेंशनदायी लाभ प्राप्त करने के समर्थ बनाएगा। अत:, ईपीएफ के अभिदाताओं को अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा छत्र प्रदान किया गया है।

नया अंत:स्थापित पैराग्राफ कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) स्कीम, 1952 के पैराग्राफ 69(2) के अतिरिक्त है जिसके द्वारा एक कर्मचारी अपने खाते में बकाया पूर्ण राशि का आहरण कर सकता है

बशर्ते कि वह आहरण का आवेदन करने की तारीख से तत्काल पूर्व दो माह की लगातार अवधि तक नियोजित न रहा हो।

(ख) और (ग): आहरणों को अधिक आसान बनाने के लिए निम्नलिखित पहलें की गई हैं:-

i) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सदस्यों को सार्वभौम खाता संख्या (यूएएन) नामक बारह अंक की स्थायी संख्या आबंटित की है। यह यूएएन पिछले पीएफ खातों के समेकन में सहायक होगा तथा नियोजन के परिवर्तन के मामले में सुवाह्यता लाएगा। आहरणों के लिए पूर्वगत बहुविध दावा फॉर्म सं. 19, 10ग और 31 के स्थान पर एक पृष्ठीय संयुक्त दावा फॉर्म (सीसीएफ) प्रारंभ किया गया है।

ii) अब किसी सदस्य से चिकित्सा प्रमाण-पत्र जैसे दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा वह आहरण पाने के लिए केवल स्व-सत्यापन कर सकता है। दावा फॉर्मों पर रसीदी टिकट लगाने की अपेक्षा समाप्त कर दी गई है।

iii) दावों का समेकित अंतरण सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन अंतरण दावा पोर्टल (ओटीसीपी) प्रारंभ किया गया है।

iv) अभिदाताओं को समस्त भुगतान राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है।

अभिदाताओं को ऑनलाइन रीति के माध्यम से दावे प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया है। अभिदाताओं हेतु ईपीएफओ की सेवाओं का भी एकीकरण किया गया है तथा भारत सरकार के उमंग (यूएमएएनजी) अनुप्रयोग के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 170

सोमवार, 4 फरवरी, 2019/15 माघ, 1940 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का मूल्यांकन और समीक्षा

170. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त रिपोर्ट में निहित सिफारिशों और सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कोई कानून बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कम्यूटेशन के कारण पूरी राशि की वसूली के बाद पेंशन से राशि की कटौती को रोकने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी, हां। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति ने 21.12.2018 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।

(ख) से (च): समिति ने निम्नलिखित मामलों पर विचार किया है:-

1. सदस्य की न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाना।
2. वह अवधि जिस पर औसत पेंशन योग्य वेतन की गणना की जाती है।
3. पेंशन के संराशिकृत मूल्य की बहाली।
4. पेंशन के संराशीकरण के लिए प्रावधान को पुन: प्रारंभ करना।
5. पूंजी की वापसी के प्रावधान को बहाल करना।
6. मासिक पेंशन को निर्वाह लागत व्यय सूचकांक से जोड़ना।
7. छूट - प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को उच्चतर/वास्तविक वेतन पर पेंशन का भुगतान।

समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट जांच के अधीन है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से टिप्पणियां मांगी गई है। तत्पश्चात, इसे इस वर्ष मार्च में आयोजित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की होने वाली बैठक के समक्ष रखा जाएगा।

******

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 198

सोमवार, 4 फरवरी, 2019/15 माघ, 1940 (शक)

छूट प्राप्त कर्मचारी भविष्य निधि की स्थिति

198. डॉ. किरीट सोमैया:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छूट प्राप्त कर्मचारी भविष्य निधि योजना की स्थिति क्या है;
(ख) क्या यह भी सच है कि इसकी मौजूदा नियामक प्रणाली में कमी पाई गई है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस संबध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/तंत्र अपनाया गया है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एडं एमपी) अधिनियम,1952 में शामिल स्थापनाएं इस अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के प्रचालन से छूट ले सकती हैं। छूट प्रदान किए जाने के बाद स्थापना की स्थिति सदस्यों/कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान का प्रबंध करने के प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त की हो जाती है। छूट प्रदान करने का यह अर्थ नहीं है कि स्थापनाएं अधिनियम के क्षेत्र से बाहर हो गई हैं। वस्तुत: छूट रहित स्थापनों के समान अधिनियम में उल्लिखित सारा नियामक ढ़ांचा जैसे निरीक्षण, गैर- अनुपालन संबंधी मदों की खोज, देय राशि का आकलन ओर इसकी वसूली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पास रहता है।

(ख): ईपीएफओ में छूट प्राप्त स्थापनों की निगरानी की नियामक प्रणाली लागू है। छूट प्राप्त स्थापनों की निगरानी के लिए ईपीएफओ के नियामक ढांचे की समीक्षा समय-समय पर की जा रही है, और प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आवश्यक सुधार किए जाते हैं।

(ग): ईपीएफओ में छूट प्राप्त स्थापनों द्वारा मासिक/वार्षिक विवरणी ऑनलाइन प्रस्तुत करने की प्रणाली भी लागू है। इसका कार्यान्वयन मई, 2017 से किया जा रहा है। इसके अलावा छूट प्राप्त न्यासों/स्थापनों का वार्षिक निरीक्षण हर वर्ष किया जाता है, जिसे अनुपालन लेखा-परीक्षा कहा जाता है।

******

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1155

सोमवार, 11 फरवरी, 2019/22 माघ, 1940 (शक)

अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारी

1155. डॉ. किरीट सोमैया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में बड़ी संख्या में कर्मचारी अनुबंध आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मंत्रालय-वार/विभाग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कर्मचारियों की सरकार द्वारा भर्ती की जाती है अथवा निजी सेवा प्रदाता से आउटसोर्स किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी मंत्रालय-वार/विभाग-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ मंत्रालयों/विभागों के कर्मचारी बिना विराम दिए वर्ष-दर-वर्ष अनुबंध आधार पर कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी मंत्रालय-वार/विभाग-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन अनुबंध कर्मचारियों की भर्ती के समय उपयुक्त प्रक्रिया का अनुपालन किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या इन सभी कर्मचारियों को ईपीएफ/ईएसआईएस/ईएसआईसी योजना के अन्तर्गत लाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): अनुबंध आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों का केंद्रीयकृत डेटा नहीं रखा जाता है। इन कर्मचारियों को प्रतिष्ठानों द्वारा उनकी अपनी निजी अपेक्षाओं के आधार पर रखा जाता है।

(ग) से (ङ): अनुबंध नियुक्ति का नियमित साधन नहीं है। मंत्रालय एवं विभाग सामान्य वित्तीय नियमों में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार अर्थव्यवस्था और कार्यकुशलता के हित में कतिपय सेवाओं को आउटसोर्स कर सकता है।

(च): सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अनुबंध कामगारों को संगत अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार ईपीएफ/ईएसआईएस/ईएसआईसी की परिधि में कवर किया जाता है।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1179
सोमवार, 11 फरवरी, 2019/22 माघ, 1940 (शक)

अनौपचारिक श्रम का औपचारिकीकरण

1179. श्री विनसेंट एच॰ पालाः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में अनौपचारिक श्रम की त्वरित औपचारिकता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसके लिए किसी मौजूदा कानून के लिए कोई कानून/संशोधन प्रस्तावित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आईएलओ के इंडिया डिसेंट वर्क कंट्री प्रोग्राम 2018-22 को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं तथा इनसे रोजगार आधार में वृद्धि होने की सम्भावना है। सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए मुद्रा एवं स्टार्ट अप्स योजना आरंभ की गई हैं।

रोजगार के सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) की शुरूआत की गई थी। इस योजना के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ के माध्यम से नए कर्मचारियों को तीन साल की अवधि के लिए ईपीएफ और ईपीएस दोनों (समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) के लिए नियोक्ता के पूर्ण योगदान, अर्थात् 12% का भुगतान कर रही है। यह योजना रु. 15,000 प्रति माह तक अर्जित करने वाले कर्मचारियों हेतु लक्षित है। इस योजना का दोहरा लाभ है, जहां एक ओर, नियोक्ता को अपने प्रतिष्ठान में कामगारों के रोजगार के आधार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर, इन कामगारों की संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभों तक भी पहुंच होगी। 4 फरवरी, 2019 तक 1.06 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने वाले 1.31 लाख प्रतिष्ठानों को लाभ प्रदान किया गया है।

(घ): आईएलओ के त्रिपक्षीय घटकों के साथ इण्डिया डिसेंट वर्क कंट्री प्रोग्राम (डीडब्ल्यूसीपी) 2018-22 को तैयार करने के लिए 2017-18 के मध्य से गहन विचार-विमर्श किया गया था। डीडब्ल्यूसीपी 2018-22 की प्राथमिकताएं इस प्रकार हैं:

(i) काम के अस्वीकार्य स्वरूपों से कामगारों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को बढ़ावा देना, अपनाना और लागू करना।

(ii) विशेषकर सामाजिक-आर्थिक एवं पर्यावरणीय वर्जनाओं में असुरक्षित तथा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं और युवाओं के लिए स्थायी, समावेशी एवं बेहतर रोजगार का सृजन करना।

(iii) श्रम प्रशासन, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएचएस) तथा सामाजिक संरक्षण को बढ़ावा देकर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने हेतु त्रि-पक्षीय तंत्र बेहतर काम करते हैं।

इस कार्यक्रम को 20 नवंबर, 2018 को शुरू किया गया है और इसके कार्यान्वयन की निगरानी श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लगातार समीक्षा बैठकों के माध्यम से की जा रही है।

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1212

सोमवार,11 फरवरी, 2019/22 माघ, 1940 (शक)

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जारी निधि

1212. श्री रमेश चन्द्र कौशिक:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रलय की विभिन्न योजनाओं के तहत हरियाणा के सोनीपत को जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजनाओं के तहत जारी निधि का उपयोग संबंधित योजना के तहत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें पूरा किया गया है अथवा जो पूरी होने वाली हैं; और

(घ) उक्त कार्यों के पूरा न होने के क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): इस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) योजना को कार्यनीतिक क्रियाकलापों और संस्थानों एवं संगठनों के साथ भागीदारी से रोजगार बाजार में अंतराल को दूर करने हेतु क्रियान्वित किया जा रहा है। एनसीएस के तहत, एनसीएस पोर्टल के साथ रोजगार कार्यालाय के अंत:सबंधन की परिकल्पना की गई है, जिसमें मूलभूत सुविधाओं में सुधार हेतु और नौकरी मेलों के आयोजन के लिए आंशिक निधियां उपलब्ध कराने के लिए घटक शामिल है। राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के साथ रोजगार कार्यालयों के अंत:सबंधन की योजना के तहत हरियाणा में सोनीपत को जारी की गई निधियों का अदिनांक विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपये में)

सूचना प्रोद्योगिकी	रिफरबिशिंग	नौकरी मेला	कुल
2,24,600/-	96,646/-	2,00,000/-	5,21,246/-

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1264

सोमवार, 11 फरवरी, 2019/22 माघ, 1940 (शक)

पत्रकारों की कार्य दशा

1264. श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पत्रकारों के वेतन, अन्य लाभों इत्यादि सहित कार्य दशाओं को नियंत्रित करने वाली संविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देशभर में इसका सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र स्थापित किया गया है;

(ग) क्या प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के व्यक्तियों और पत्रकारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, भविष्य निधि, ईएसआई पेंशन योजना(ओं) और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 के दायरे में अन्य बातों के साथ-साथ, श्रमजीवी पत्रकारों के नियोजन की शर्तें भी शामिल हैं ताकि श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में सुधार तथा विनियमन किया जा सके।

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में कार्य के घंटों, अवकाश निर्धारण तथा वेतन की संशोधित दरें जिनमें वेतन बोर्ड का गठन भी शामिल है, के मुद्दों का समाधान किया गया है। श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में इस प्रकार स्थापित बोर्ड द्वारा अपनी सिफारिशें प्रदान करना तथा बोर्ड की शक्तियों एवं कार्यवाही को परिभाषित करना भी उपबंधित है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को वेतन बोर्ड की सिफारिशों को प्रवर्तित करने की शक्तियां भी प्रदान करता है।

जारी--2/-

सिफारिशों के कार्यान्वयन का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का है। राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व में विशेष प्रकोष्ठों का निर्माण, वेतन बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति को देखना, मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजना तथा वेतन बोर्डों की सिफारिशों के तीव्र एवं तत्काल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य श्रम प्रवर्तन तंत्र को दुरुस्त रखना शामिल है। राज्यों द्वारा वेतन बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने हेतु मंत्रालय में केंद्रीय स्तर पर एक अनुवीक्षण समिति है।

(ग) और (घ): मीडिया के व्यक्ति तथा पत्रकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत शामिल हैं। मीडिया के व्यक्तियों तथा पत्रकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण राज्य सरकार के दायरे में आता है जो न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण/संशोधन के लिए समुचित सरकार है। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र के समाचार पत्र प्रतिष्ठान तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल हैं। इन प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी इस अधिनियम के उपबंधों तथा इनके तहत निर्मित योजनाओं के अंतर्गत भविष्य निधि, पेंशन तथा निक्षेप संबद्ध बीमा के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के पात्र हैं।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1284
सोमवार, 11 फरवरी, 2019/22 माघ, 1940 (शक)

पीएमआरपीवाई के माध्यम से रोजगार सृजन

1284. श्री आनंदराव अडसुलः
डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः
डा॰ प्रीतम गोपीनाथ मुंडेः
श्री धर्मेन्द्र यादवः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रोजगार सृजन के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसंबर, 2018 की तिथि तक पीएमआरपीवाई के लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए कितनी वेतन सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या उक्त सीमा को बढ़ाने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) पीएमआरपीवाई के कार्यान्वयन के पश्चात् वर्ष 2016 से अब तक सृजित किए गए अतिरिक्त रोजगारों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या 31 मार्च, 2019 के बाद पीएमआरपीवाई के अंतर्गत किसी प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (च): रोजगार के सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 9 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) की शुरूआत की गई थी। इस योजना के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ के माध्यम से नए कर्मचारियों को तीन साल की अवधि के लिए ईपीएफ और ईपीएस दोनों (समय-समय पर यथा स्वीकार्य) के लिए नियोक्ता के पूर्ण योगदान, अर्थात् 12% का भुगतान कर रही है। यह योजना रु. 15,000 प्रति माह तक अर्जित करने वाले कर्मचारियों हेतु लक्षित है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 है और पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस योजना का दोहरा लाभ है, जहां एक ओर, नियोक्ता को अपने प्रतिष्ठान में कामगारों के रोजगार के आधार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर, इन कामगारों की संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच होगी। 4 फरवरी, 2019 तक 1.06 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने वाले 1.31 लाख प्रतिष्ठानों को लाभ प्रदान किया गया है। 31, दिसंबर 2018 तक पीएमआरपीवाई के लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

पीएमआरपीवाई के माध्यम से रोजगार सृजन के बारे में पूछे गए लोक सभा के दिनांक 11.02.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1284 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य	01 अप्रैल, 2016 से 31 दिसंबर, 2018 के दौरान लाभान्वित प्रतिष्ठानों की संख्या	01 अप्रैल, 2016 से 31 दिसंबर, 2018 के दौरान लाभान्वित कर्मचारियों की संख्या
आंध्र प्रदेश	8646	780535
असम	365	8258
बिहार	737	105355
चंडीगढ़	3612	155769
छत्तीसगढ	2473	102987
दिल्ली	5570	628772
गोवा	352	15343
गुजरात	11763	857175
हरियाणा	7067	823757
हिमाचल प्रदेश	2565	110997
झारखंड	1110	46635
कर्नाटक	7853	963140
केरल	3567	165120
मध्य प्रदेश	4548	282474
महाराष्ट्र	14193	1746468
ओडिशा	2169	110975
पंजाब	4760	161869
राजस्थान	7601	376834
तमिलनाडु	13527	1177433
उत्तर प्रदेश	12556	689057
उत्तराखंड	2491	243977
पश्चिम बंगाल	3825	285416
कुल	121350	9838346